UPMT010017422026

<u>न्यायालय:-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।</u>
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–891/2026
उपस्थित–राम किशोर पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा
तेज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–57/2026, धारा–303(2),317(2) बी०एन०एस० थाना–फरह, जिला मथुरा के अभियुक्त **तेज सिहं** ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा लव शर्मा द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक–08.02.2026 को वह अपने गांव से फरह आया था तो रेलवे फाटक से पहले एस०बी० पचौरी स्कूल के सामने उसने अपनी मोटरसाइकिल UP85CM1403 खड़ी कर दुकान पर सामान लेने गया था। वापस आने पर उसकी मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली। उसने पास में लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे में देखा तो कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना बरामदगी के आधार पर उक्त मामले में धारा–317(2) BNS बढ़ोतरी की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र व उसके साथ संलग्न शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रर्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया है। उक्त घटना की रिपोर्ट 13 दिन विलम्ब से दर्ज हुयी है। उक्त घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संख्या–840/12 धारा–134,395 IPC थाना न्यू आगरा में जमानत पर है। अभियुक्त पूर्व के मुकदमें में जमानत पर है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा की

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.03.18 11:34:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने एवं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने का आरोप है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बताया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की दोषसिद्धी के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त उक्त मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त किसी अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–12.03.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।